राउरकेला में इस्पात का उत्पादन

१६९. **श्री लखमू भवानी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) राउरकेला में इस्पात का उत्पादन बढ़ाने की नई योजनाओं का ब्योरा क्या है ;

(ख) इन योजनाओं को कब से क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(ग) इन योजनाओं को क्रियान्वित करने पर उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रमण्यम) : (क) से (ग). राउरकेला इस्पात संयंत्र का इस्पात पिण्डों का वर्तमान उत्पादन एक मिलियन टन प्रतिवर्ष की निर्णीत क्षमता का लगभग ७५ प्रतिशत है । अनुरक्षण और परिचालन में सुधार करने के उद्देश्य से जिससे निर्णीत क्षमता यथाशीघ्र प्राप्त की जा सके, हिन्दुस्तानी स्टील लि० फालतू पुर्जों का पर्याप्त स्टाक तथा कुछ अतिरिक्त उपकरण रेल-इंजन और रेल के डिब्बे प्राप्त कर रहा है । संयंत्र के परिचालन और अनुरक्षण के लिये वह लगभग ५० अतिरिक्त विदेशी टकनीशनों की सेवायें भी प्राप्त कर रहा हूं । यह संभावना है कि अगले वर्ष के मध्य तक राउरकेला अपनी पूर्ण उत्पादन क्षमता प्राप्त कर लेगा ।

तीसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में इस्पात पिण्डों की क्षमता का १ मि० टन प्रति वर्ष से बढ़ा कर १.८ मि० टन प्रतिवर्ष तक करने का विचार है । विस्तार के तीसरी योजना के अन्त तक पूरे होने की संभावना है । इससे इस्पात पिण्डों के उत्पादन में ८० प्रतिशत की वृद्धि होगी ।

लद्दाख में खनिज पदार्थों की खोज

१७०. **श्री लखमू भवानी** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लद्दाख क्षेत्र में खनिज पदार्थों की खोज की जा रही है; और

(ख) किन खनिजों के प्राप्त होने की संभावना है ?

खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी, हां ।

(ख) जनहित के लिये यह सूचना बताना ठीक नहीं है ।

पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण

१७१. **श्री लखमू भवानी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा समन्वय समिति ने महत्वपूर्ण पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी पुस्तकें हैं;

(ग) किस भाषा में हैं; और

(घ) पुस्तकों का विषय क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) सरकार को शिक्षा समन्वय समिति के अस्तित्व की कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) से (घ). तक प्रश्न नहीं उठते ।

हिन्दी में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृतियां

१७२. **श्री लखमू भवानी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहिन्दी भाषा भाषी राज्यों के उन छात्रों के लिये, जो हिन्दी में उच्च शिक्षा प्राप्त करें, उन के मंत्रालय ने छात्रवृत्तियां घोषित की हैं;

(ख) यदि हां, तो समस्त अहिन्दी भाषी राज्यों के लिये कुल कितनी छात्र-वृत्तियां हैं ;

(ग) हर छात्रवृत्ति कितनी राशि की है;

(घ) प्रत्येक अहिन्दी भाषी राज्य के लिये छात्रवृत्तियों का बटवारा किस अनुपात से किया गया है; और

(ङ) आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के लिये कितनी कितनी छात्रवृत्तियां हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) जी हां ।

(ख) २२० ।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

अध्ययन पाठ्य क्रम	अहिन्दी भाषी राज्यों में अध्ययन के लिये दर	हिन्दी भाषी राज्यों में अध्ययन के लिये दर
	रु० प्रति मास	रु० प्रति मास
१. इन्टरमीडिएट, पूर्व-विश्वविद्यालय पाठ्य-क्रम और त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष अथवा उस के समकक्ष पाठ्यक्रम	५०.००	८०.००
२. बी० ए० । बी० ए० (आनर्स) । त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के दूसरे और तीसरे वर्ष अथवा इस के समकक्ष पाठ्यक्रम	७५.००	१०५.००
३. एम० ए० (हिन्दी) । पी० एच० डी० (हिन्दी) अथवा उस के समकक्ष पाठ्य-क्रम जैसे उत्तर-स्नातक शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।	१००.००	१२५.००

हिन्दी भाषी राज्यों में अध्ययन करने वाले उम्मीदवारों को दूसरी श्रेणी के रेल के किराये के सफर के भत्ते के अतिरिक्त और कोई राशि नहीं दी जाती है ।

(घ) इन छात्रवृत्तियों का नियतन राज्य-वार, आबादी के आधार पर किया गया है ।

(ङ) आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के लिये क्रमशः ३५ और १६ छात्रवृत्तियां नियत की गई हैं ।

हिन्दी जानने वाले सरकारी कर्मचारी

१७३. **श्री लखमू भवानी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन केन्द्रीय सरकारी कर्म-चारियों ने हिन्दी की प्रवीण, प्राग आदि परीक्षायें पास की हैं, उन की सेवाओं को सरकार किस प्रकार उपयोग कर रही है;

(ख) इन परीक्षाओं के फलस्वरूप अब तक कार्यालायों में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं;

(ग) भली प्रकार हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों को अपनी छोटी मोटी अर्जियां क्या हिन्दी में देने की छूट है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रकार के आदेश जारी किये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बातार) : (क) और (ख). ऐसे कर्मचारियों